142

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–दो / निगरानी / सीहोर / भू.रा. / 2018 / 1926 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–03–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक–690 / अपील / 2015–16

....

1– राजेश उर्फ चन्द्रमोहन सिंह आत्मज स्व. श्री जहान सिंह
निवासी–म.नं. 174, राजीव नगर,
अयोध्य बायपास, भोपाल

2– राकेश उर्फ महेन्द्र सिंह आत्मज स्व. श्री जहान सिंह
निवासी–म.नं. 279, बी–सेक्टर, राजीव नगर,
अयोध्य बायपास, भोपाल
दोनों कृषकगण–ग्राम निमोटा, तहसील नसरूल्लागंज
जिला–सीहोर

––––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामकुंअर बाई पत्नी स्व. श्री प्रभुदयाल

2– राजेन्द्र सिंह आ. स्व. श्री प्रभुदयाल
निवासी–निमोटा, तहसील नसरूल्लागंज

3– धर्मेन्द्र सिंह आ. स्व. श्री प्रभुदयाल
निवासी–नसरूल्लागंज

4– सुरेन्द्र सिंह आ. स्व. श्री प्रभुदयाल
निवासी–निमोटा, तहसील नसरूल्लागंज
जिला–सीहोर

5– उषाबाई पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल सिंह पत्नी श्री भारत सिंह
निवासी– ग्राम धरोड़, जिला–रतलाम, म.प्र.

6– सुमद्रा बाई पुत्री स्व. श्री प्रभुदयाल सिंह, पत्नी श्री शशिभूषण सिंह
निवासी–ग्राम गरारू, तहसील व जिला–नरसिंहपुर, म.प्र.

––––––अनावेदकगण

....

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अबरार अहमद, अभिभाषक, अनावेदकगण,

....

(1)

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/02/2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निमोटा, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर स्थित भूमि खसरा नम्बर 249/1/1/4 रकबा 41.70 एकड़ की भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी क्रमांक 83 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 09–12–1982 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 रामकुंवर बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के समक्ष अपील मय धारा 5 का आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–6–2016 को आदेश पारित करते हुये अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 09–03–2018 से स्वीकार की गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वादग्रस्त भूमि का अभिलेख वर्ष 1962 की स्थिति में कायम करें। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 09–03–2018 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्कों का अवलोकन किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि वर्ष 1962 के पूर्व तक प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी प्रभुदयाल रहे

25/2/2019

26

और अनावेदकगण प्रभुदयाल के वारिस हैं। अनावेदकगण को नामांतरण पंजी क्रमांक 83 आदेश दिनांक 09—12—1982 में नामांतरण की जानकारी होने पर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में भूल की। भूमिस्वामी प्रभुदयाल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नि अनावेदिका रामकुवंर बाई एक अनपढ़ विधवा महिला थी तथा शेष अनावेदकगण की उम्र कम थी। ऐसी स्थिति में जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को सदभाविक रूप से समय—सीमा में मान्य करना चाहिए था। समय—सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अपील को निरस्त करने से दूसरे पक्ष को अनावश्यक लाभ मिल जाता है। इस संबंध में *2000 आर.एन. 153 हरीसिंह विरूद्ध दुल्ला उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—*

''—धारा 5——विलंब की माफी—ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।''

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण में दिनांक 23—9—2014 को अपील ग्राह्य कर ली गई थी तथा दिनांक 6—7—2015 को म्याद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर प्रचलनशीलता संबंधी लिखित अपत्ति हुई जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने जबाव प्राप्त किये एवं बहस श्रृवण की। इसके पश्चात अपील प्रकरण में प्रचलनशीलता पर किसी प्रकार का आदेश न करते हुये अंतिम तर्क श्रृवण किये। एक बार जब अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य कर ली गई थी और प्रचलनशीलता पर आपत्ति सुनने के पश्चात अंतिम तर्क सुने गये थे तब ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का अंतिम निराकरण करना चाहिए था, न कि अंतिम बहस सुनने के पश्चात म्याद जैसे तकनीकी आधार पर अपील

25/3/19

3/6

का निराकरण करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 में नवीन प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है और न ही कब्जे के आधार पर खसरों में भूमिस्वामी दर्ज किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर विचार किये बिना समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अपील को निरस्त करने में त्रुटि की है। इसी कारण जब अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई तब अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तार से विवेचना कर बिना स्वत्व अंतरण के की गई प्रविष्टि को निरस्त कर वर्ष 1962 के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि भूमिस्वामी प्रभुदयाल से भूमि जहानसिंह का भूमि कैसे अंतरित हुई इसका कोई दस्तावेज अभिलेख में नहीं है। चूंकि जहानसिंह मूल भूमिस्वामी प्रभुदयाल का वारिस नहीं था तब ऐसी स्थिति में अंतरण में शासकीय राजस्व की हानि का प्रश्न अंतर्निहित था। यदि कुछ समय के लिए यह मान लिया जाये कि जहानसिंह का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था तब भी कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वत्व अर्जित नहीं होते हैं। इस संबंध में 2006 आर एन 104 में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) – धारा 121, 115 तथा 116—– नियम 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन)—– नियमों में खसरा तैयार करने के निदेश और प्रकिया का उपबंध है—– नियमों के अधीन कोई मामला विश्चित नहीं किया जा सकता—–किसी भी धारा 115, 116 तथा 121 के तहत कब्जा अभिलिखित नहीं किया जा सकता—– कब्जा अभिलिखित करने के लिए धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के अधीन आवेदन फाईल नहीं किया जा सकता।

(2) ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) – धारा 116—– न तो नया अधिकार सिद्ध किया जा सकता है और न नई प्रविष्टि ही की जा सकती है—– कब्जे के प्रविष्टि भी नहीं की जा सकती है।''

25/2/2019

3 4/6

वर्ष 1962 के पूर्व तक प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी प्रभुदयाल थे तब बिना विधिक रूप से अंतरण के हुई प्रविष्टी को वैद्य नहीं कहा जा सकता। संहिता की धारा 115—116 के अनुसार नवीन प्रविष्टि की सृष्टि नहीं की जा सकती जिसका अस्तित्व ही न हो।

अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण में राकेश आत्मज जहांन सिंह राजपूत जिसका आधार कार्ड अनुसार नाम महेन्द्र सिंह जे0एस0सिंह एवं जन्म वर्ष 1971 तथा शासकीय विद्यालय निमोटा के प्राधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित अनुसार 05—3—1969 है, की वर्ष 1982 में नामांतरण पंजी कमांक 83 पर बंटवारा आदेश पारित दिनांक 09—12—82 को आयु 18 वर्ष से कम होने से अवयस्क था। इस कारण वह शासकीय कार्य एवं अभिलेखों अपने स्वत्व संबंधी कार्य हेतु हस्ताक्षर करने हेतु निरर्हित था तथा ऊषाबाई पत्नि भारत सिंह, जो कि प्रभुदयाल सिंह की पुत्री है, जहानसिंह के विधिक वारसानों की श्रेणी में न होकर संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का भाग पाने की पात्रता नहीं रखती थी। ऐसी स्थिति में 09—12—82 को बटवारा आदेश को वैधानिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। प्रकरण में वर्ष 1962 में बिना किसी वैधानिक आधार के वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से की गई कांट—छाट उपरान्त उक्त प्रविष्टि से जहानसिंह को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हीं ~~बिन्दु~~ बिन्दुओं का अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर अपने आदेश में उचित निष्कर्ष निकाला है। संहिता में हित के अर्जन के अनेक प्रकार उल्लिखित हैं। अधिकार या हित दाय, उत्तरजीविता, वसीयत, अंतरण विकय, बंधक, पट्टा आदि अनेक रीतियों से अर्जित किए जा सकते हैं। संहिता की धारा 165 भूमिस्वामी को भूमि में अपने हित का अंतरण करने का अधिकार देती है। संपत्ति का प्रधान लक्षण यह है कि उसका स्वामी उसे दूसरे को दे सके। जब फर्जी प्रविष्टि से जब जहानसिंह को ही स्वत्व प्राप्त नहीं हुये थे तब उसकी मृत्यु के पश्चात

25/2/19

5/6

(5)

उसके वारिस एवं अन्य किसी व्यक्ति को हुये नामांतरण/बटवारे के आदेश को कैसे वैधानिक कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा वर्ष 1962 के खसरे में की गई अनाधिकृत प्रविष्टि एवं नामांतरण पंजी वर्ष 1982 पर हुये अवैधानिक नामांतरण/बटवारा आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 09—03—2018 स्थिर रखा जाता है।

6/6

25/2/2019
(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर